

न्यायालय: राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

दिनांक 12928/II/15

पुनरीक्षण क्र/ 115



AS-201

श्री. शिवप्रसाद डिठ्ठी
द्वारा आज दिनांक 14-8-15 को
प्रस्तुत किया गया।

14-8-15
कोर्ट कोर्ट रीवा

315
14-8-15

जगदीश प्रसाद । मृत । वारिसान -

01- सावित्री देवी पत्नी स्व० श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा

02- संतोष कुमार तनय स्व० श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा

03- कृष्णानन्द उर्फ शास्त्री तनय स्व० श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा

04- सुभाष कुमार उर्फ पंडित तनय स्व० श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा

सभी निवासी ग्राम मनिक्वार तह० रायपुर कर्बु० जिला रीवा, म०प०.

05- सुषमा पुत्री स्व० जगदीश प्रसाद मिश्रा पत्नी अनिल पाठक

निवासी ग्राम बधमडा तह० गुद, जिला रीवा, म०प०.

06- सुधा पुत्री स्व० जगदीश प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम मनिक्वार, तह०

रायपुर कर्बु० जिला रीवा, म०प०.

----- आवेदकगण

बनाय

01- मुदिका प्रसाद पाण्डेय तनय श्री हर्षलाल पाण्डेय निवासी ग्राम धरमपुर, हाल मुकाम मनिक्वार, तह० रायपुर कर्बु० जिला रीवा, म०प०.

02- महाराजू देवी पत्नी रामेश्वर प्रसाद मिश्रा

03- बसंतलाल ।

04- सुखलाल । - तीनों पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा

05- सोखीलाल ।

06- रामत्वर्धन तनय मोतीलाल गुप्ता

07- मुन्नी देवी पत्नी रामश्रीता गुप्ता

08- क्लावती पत्नी सुदर्शन वर्मा

सभी निवासी ग्राम मनिक्वार तह० रायपुर कर्बु० जिला रीवा, म०प०.

----- अनावेदकगण
निरंतर....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

108

प्रकरण क्रमांक R2928-II /15

जिला-रीवा

जगदीश प्रसाद मिश्रा वगैर/ मुद्रिका प्रसाद पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
05/2/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क्रमांक 22/अ6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p>M</p> <p>(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	